कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिलाः सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

Address - Khelbantha Ground, Near Water Tank, Sarangarh Pin Code 496445 E-mail- deosarangarhbilaigarh2022@gmail.com

क्रमांक/1781 /अशा.विद्या./अर्थदण्ड/ 2026-27 सारंगढ़-बिलाईगढ़ दिनांक 22/07/2026

प्रति,

1. श्रीमती लक्ष्मीन साहू, अध्यक्ष-जय मां शारदा शिक्षण समिति
   नाकापारा टुण्डरी
2. प्राचार्य/संचालक- होली ऐंजल्स स्कूल टुण्डरी
   वि.ख. बिलाईगढ़ जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ.ग.

विषय - अशासकीय संस्था होली ऐंजल्स स्कूल टुण्डरी वि.ख. बिलाईगढ़ के विरूद्ध विभागीय मान्यता शर्तो के उल्लंघन करने के संबंध मे अर्थदण्ड अधिरोपित करने बाबत्।

संदर्भ - कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पत्र क्र0/1394/शिका.जांच/2026-27 बिलाईगढ़ दिनांक 17/07/2026।

--00--

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि विकासखण्ड बिलाईगढ़ मे आपके द्वारा होली ऐंजल्स स्कूल टुण्डरी वि.ख. बिलाईगढ़ नाम से विद्यालय संचालन किया जा रहा है। आपके विद्यालय के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच संदर्भित पत्र के माध्यम से कराकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। जिसमे आपके संस्था द्वारा विभागीय मान्यता नवीनीकरण प्राप्त किए बगैर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है जो के पूर्णतः अनुचित है। साथ ही यह पाया गया कि आपके संस्था द्वारा विभागीय मान्यता हेतु जारी अति आवश्यक शर्तो (यथा - शौचालय व्यवस्था न होना, बिजली पंखा न होना, अस्थायी पर्दे लगाकर कक्षा संचालन करना व स्टॉफ बैठने की जगह न होना आदि) का पालन नही किया जा रहा है जो कि अशासकीय विद्यालय संचालन नियमो का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः अशासकीय विद्यालय के संचालन के संबंध मे शासन द्वारा जारी नियम एवं शर्तो के उल्लंघन के फलस्वरूप निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं यथा संशोधित नियम 2012 की धारा 18 के कंडिका 5 के अनुसार आपके विरूद्ध राशि रूपए-एक लाख रूपए मात्र का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। उक्त अर्थदण्ड की राशि एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय मे जिला शिक्षा अधिकारी जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ.ग. के नाम से चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करे। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित समय मे आपके द्वारा यदि उक्त अर्थदण्ड की राशि जमा नही करने की दशा मे प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रूपए अतिरिक्त विलम्ब अर्थदण्ड की वसूली की जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ0ग0)

सारंगढ़-बिलाईगढ़ दिनांक 22/07/2026

पृ0क्रमांक/1781A/ अशा.विद्या./अर्थदण्ड /2026-27

प्रतिलिपि -

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ को सूचनार्थ संबंधित को पत्र तामिल कराकर पावती अभिस्वीकृति इस कार्यालय मे जमा करना सुनिश्चित करे।
5. संकुल नोडल प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. टुण्डरी, वि.ख. बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ0ग0)

Scanned with OKEN Scanner